न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्याः– 12/87/2024 रजू दिनांकः 26.06.2024 रजि0 न0 2024/151

अपीलार्थीः–

श्री वेद राठौड, निवासी एन.डी.सदन देहली रोड़, मूंगस्का अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 23.07.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 13.05.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 08.07.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र कमांक नविवि/आर0टी0आई0/2024/3201 दिनांक 09.07..2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि **अपीलार्थी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 13.05.2024 को न्यास कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में चाही गई थी, जो कि आवेदन अप्राप्त है।** अपीलार्थी को न्यास पत्र 1417 दिनांक 15.05.2024 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। (प्रतिलिपि संलग्न है)।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि **प्रत्यर्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना दिनांक 13.05.2024, को न्यास कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में चाही गई थी, जो कि आवेदन अप्राप्त है साथ ही अपीलार्थी को न्यास पत्र 1417 दिनांक 15.05.2024 के द्वारा सूचित किया जा चुका है से भी न्यायालय को प्रस्तुत जवाब में अवगत कराया है जो की विरोधाभाषी है और ना ही प्रत्यर्थी द्वारा उक्त पत्रांक 1417 दिनांक 15.05..2024 की प्रति संलग्न की है।** प्रस्तुत विरोधाभाषी व अस्पष्ट जवाब में के अभाव में अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास, अलवर को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रथम आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें साथ ही निर्देशित किया जाता है, कि यदि सूचना देयता की श्रेणी में हो तो अपीलार्थी को वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)